प्रेस नोट दिनांक- 15.12.2024

थाना चकिया जनपद चन्दौली

□पंजाब राज्य से बिहार राज्य के लिए परिवहन की जा रही भारी मात्रा में शराब की खेप की गई बरामद
□थाना चकिया पुलिस टीम तथा स्वाट व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में 620 पेटी (5518.8 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब की गयी बरामद
□अवैध शराब परिवहन मे प्रयुक्त एक ट्रक नं. HR47C1978 के साथ एक शातिर शराब तस्कर को किया गिरफ्तार
□बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रूपये

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा शराब/मादक तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक(आपरेशन) अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम मय हमराह व थानाध्यक्ष चकिया अतुल कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनाँक 14.12.2024 को एक ट्रक से 620 पेटी अवैध अंग्रेज़ी शराब बरामद करते हुए 01 शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 14.12.2024 को थाना चकिया पुलिस टीम व स्वाट/सर्विलांस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक अवैध शराब लेकर पुलिस चेकिंग के डर से टेगरा मोड से हाईवे से उतर कर शिकारगंज होते हुए राबर्टसगंज के रास्ते बिहार जाने के फिराक में है। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा शिकारगंज स्थित राजा साहब के पोखरे के पास से एक क्लोड बाडी बीएस-III माडल ट्रक नं. HR47C1978 से घेराबंदी करके रोक लिया गया। ट्रक की तलाशी में कुल 620 पेटी (5518.8 लीटर) अवैध गैर प्रान्त की अंग्रेजी शराब के साथ अभियुक्त मोहन श्याम पुत्र छोटेलाल निवासी 150 भरनाकला छटा थाना बरसाना जनपद मथुरा(उ0प्र0) उम्र करीब 45 वर्ष को समय 21.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूध थाना चकिया पर मु.अ.सं. 230/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 319(2)/(318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण- पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह तथा गाडी मालिक रविन्दर सिंह पुत्र महिन्दर सिंह निवासी कालरवास नैचना रेवारी हरियाणा द्वारा फर्जी बिल्टी मुर्गी दाना की बनवाकर वहां से लेकर चलते है। रास्ते में कोई भी कागज मांगता है तो मुर्गी दाना बताकर तथा कागज दिखाकर आगे बढ जाते हैं। बिहार मे शराब बन्दी के कारण पंजाब से सस्ती शराब खरीद कर बिहार मे अधिक दामों पर हम लोग बेचते है। जिससे ज्यादा लाभ होता है तथा वह पंजाब प्रान्त की बनी शराब हरियाणा, दिल्ली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र व झारखंड राज्य होते हुए बिहार प्रान्त को लेकर जाता है। आज नारायणपुर मिर्जापुर मे हाइवे पर चेकिंग होने के कारण वह टेंगरा मोड से चकिया अहरौरा होते हुए बिहार जा रहा था।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

मोहन श्याम पुत्र छोटेलाल निवासी 150 भरनाकला छटा थाना बरसाना जनपद मथुरा(उ0प्र0)।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 230/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 319(2)/(318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण-

1-620 पेटी (5518.8 लीटर) अवैध गैर प्रान्त की अंग्रेजी शराब
1-इम्पीरियल ब्लू 750ML (320पेटी)
2-मैकडोवेल 750ML(130पेटी)

3-मैकडोवल 180 ML (170पेटी)
2-एक क्लोड बाडी बीएस-III माडल ट्रक नं. HR47C1978
3-एक मोबाइल सैमसंग एंड्रायड बरंग पिंक।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली संयुक्त टीम का विवरणः–
थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली
उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट/सर्विलांस सेल चन्दौली
उ0नि0 गिरीशचन्द्र राय थाना चकिया
उ0नि0 यज्ञ नारायण यादव थाना चकिया
हे0का0 जलभरत यादव थाना चकिया
हे0का0 दीपचन्द्र गिरि थाना चकिया
हे0का0 रामतीर्थ थाना चकिया
हे0का0 अनुज यादव थाना चकिया
हे0का0 प्रेमप्रकाश यादव सर्विलांस सेल चन्दौली
का0 नीरज कुमार मिश्रा सर्विलांस सेल चन्दौली
का0 अजीत कुमार सिंह सर्विलांस सेल चन्दौली
का0 मनीष कुमार प्रसाद सर्विलांस सेल चन्दौली
का0 गणेश तिवारी सर्विलांस सेल चन्दौली
का0 संदीप कुमार सर्विलांस सेल चन्दौली
का0 मनोज कुमार यादव सर्विलांस सेल चन्दौली
हे0का0 राणा प्रताप सिंह स्वाट टीम चन्दौली
हे0का0 विजेन्द्र कुमार सिंह स्वाट टीम चन्दौली
हे0का0 राजेश कुमार यादव स्वाट टीम चन्दौली
हे0का0 रामानन्द यादव स्वाट टीम चन्दौली
हे0का0 अरविन्द कुमार स्वाट टीम चन्दौली
का0 प्रदीप सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली
का0 राकेश यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली।